प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 06.09.2021

लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे ठगने वाले 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, 54475/– रूपये नकद, 01 ब्रिफकेश, 03 मोटर साइकिल, नोट की गड्डी की तरह दिखने वाली सफेद कागज की गड्डी जिसके ऊपर व नीचे 500–500 के एक–एक नोट लगे हुए हैं व 08 अदद मोबाइल फोन बरामद। (थाना कोतवाली नगर)

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी करने वाले 05 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 54475/– रूपये नकद, 01 ब्रिफकेश, 03 मोटर साइकिल, नोट की गड्डी की तरह दिखने वाली सफेद कागज की गड्डी जिसके उपर व नीचे 500–500 के एक–एक नोट लगे हुए हैं व 08 अदद मोबाइल फोन व बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

घटना का संक्षिप्त विवरण

कल दिनांक 05.09.2021 को थाना कोतवाली नगर पर वादी साहेब आलम पुत्र स्व0 शरीफ अहमद निवासी बिलोई थाना बादशाहपुर जनपद जौनपुर द्वारा यह लिखित सूचना दी गई कि, प्रार्थी सैफ्टी टैंक लगाने का काम करता है एवं वर्तनाम में प्रार्थी का काम धर्मपुर, बादशाहपुर चल रहा है। दिनांक 18.08.2021 को प्रार्थी की साइड पर दो अज्ञात व्यक्ति आए और अपना नाम अशोक कुमार सिंह व जाहिद बताते हुए यह कहे कि हमारे मालिक एक मारवाड़ी हैं जो कि बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, जिनकी बिल्डिंग गौरीगंज, जनपद अमेठी में बनी है। उसमें 36 सैफ्टी टैंक लगाना है। उन दोनों की बात पर मैं विश्वाश करते हुए काम करने हेतु तैयार हो गया था। दिनांक 28.08.2021 को अशोक सिंह ने प्रार्थी को फोन कर प्रदीप होटल, निर्मल चौराहा, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ बुलाया, जहां पर उसके साथ जाहिद, दीपू सिंह, बृजेश सिंह व राममिलन भी थे। उन सभी के द्वारा सेफ्टी टैंक दिलाने के नाम पर मुझसे 100000/– रूपये लिये गये व कहा कि दो दिन बाद एग्रीमेन्ट होगा। फिर दिनांक 31.08.2021 को लीलावती होटल, प्रतापगढ़ में इन लोगों के द्वारा मुझसे 65000/– रूपये व दिनांक 03.09.2021 को प्रदीप होटल, निर्मल चौराहा, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ पुनः 100000/– रूपये लिये थे और मुझे अगले दिन एग्रीमेन्ट देने के लिए बुलाया था। दिनांक 04.09.2021 को प्रतापगढ़ आने के बाद मुझे यह ज्ञात हुआ कि उक्त सभी युवक धोखाधड़ी करते हैं और मुझसे धोखाधड़ी कर 265000/– रूपये ठग लिये।

इस संबंध में वादी उपरोक्त की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 729/2021 धारा 420, 406 भादंवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त मुकदमें की विवेचना के क्रम में वादी द्वारा यह सूचना दी गई कि उक्त धोखाधड़ी करने वाले लोगों द्वारा आज दिनांक 06.09.2021 को मुझे विकास भवन, प्रतापगढ़ पास बुलाया गया है और यह कहा गया कि आज हमारे मालिक आ रहे हैं, आइये और मिल लीजिए, आते समय 10000/– रूपये लेते आना, तुम्हारा काम हो जाएगा।

इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस, वादी के साथ विकास भवन के पास पहुंची और वादी के द्वारा बताए गये 05 व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. अशोक कुमार सिंह पुत्र स्व0 रामकरन सिंह निवासी पहाड़पुर थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुर।

02. राम मिलन सिंह पुत्र रामराज सिंह निवासी पहाड़पुर थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुर।

03. जाहिद खान पुत्र स्व0 सलीम खान निवासी पचौरी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

04. दीपू सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह निवासी ढकवा ब्राहिमपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

05. बृजेश सिंह पुत्र छुटकू सिंह निवासी बीबीपुर थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

01. 54475/– रूपये नकद,

02. 01 ब्रिफकेश।

03. 03 मोटर साइकिल।

04. 08 अदद मोबाइल फोन।

05. नोट की गड्डी की तरह दिखने वाली सफेद कागज की गड्डी जिसके ऊपर व नीचे 500–500 के एक–एक नोट लगे हुए हैं।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग धोखाधड़ी कर ठगी का काम करते हैं। हम लोग बातचीत कर ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं, जिससे आसानी से ठगी की जा सके फिर उसके व्यवसाय के अनुसार उसको आर्डर दिलाने या सप्लाई कराने के लाभ पर भारी फायदा कराने का लालच देकर हम लोगों में से एक व्यक्ति किसी फर्म का मैनेजर, मालिक या अधिकारी बनकर उससे मिलता है। ब्रिफकेश में नोट की गड्ड़ी जैसी दिखने वाले कागज की गडडी जिसके ऊपर नोट लगे होते हैं को दूसरी पार्टी को दिखाकर यह विश्वास दिलाते हैं कि यह पैसा हमें यही काम करवाने के लिए अन्य जगहों से प्राप्त हुआ है एवं एग्रीमेन्ट कराने की बात कहकर सामने वाले को भरोसे में लेकर उससे रूपये प्राप्त कर हम लोग फरार हो जाते हैं। हम लोगों ने मड़ियाहू जौनपुर में एक सोनार से गहना आर्डर के नाम पर 150000/– रूपये ठगे हैं, प्रयागराज में नौकरी दिलाने के नाम पर 100000/– रूपये लिये हैं, जौनपुर में भी नौकरी दिलाने के नाम पर 130000/– रूपये लिये हैं, अमेठी मे ठेका दिलाने के नाम पर 150000/– रूपये लिये हैं व इसके अतिरिक्त सुलतानपुर व फैजाबाद में भी ठगी कर लाखो रूपये ठगे हैं।

नोटः– गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बतायी गयी अन्य घटनाओं के संबंध में जांच की जा रही है।

पुलिस टीम– उ0नि0 श्री राधे बाबू, उ0नि0 श्री पुष्पराज सिंह, आरक्षी अजय कुमार, आरक्षी मन्नू सिंह, आरक्षी राकेश कुमार, आरक्षी हरेन्द्र व आरक्षी सुरजीत सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना नवाबगंज)

जनपद के थाना नवाबंगज से उ0नि0 श्री श्री सुरेंद्र सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के ग्राम रेवली की नहर पुलिया के पास से 01 व्यक्ति भूपनारायण पुत्र बैजनाथ मौर्य निवासी सूबेदार का पुरवा रेवली थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 146/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना महेशगंज)

जनपद के थाना महेशगंज पुलिस व आबकारी टीम द्वारा थाना क्षेत्र महेशगंज के ग्राम गुजवर से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई एवं मौके पर लगभग 01 क्विंटल लहन को नष्ट किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण/पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारी का स्थान–

श्रीपाल पुत्र जगेशर सरोज निवासी गुजवर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़
पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 180/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम
गिरफ्तारी का स्थान– ग्राम गुजवर, थाना क्षेत्र महेशगंज, प्रतापगढ़।

राम अधार पुत्र झुरई सरोज निवासी गुजवर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़
पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 181/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम
गिरफ्तारी का स्थान– ग्राम गुजवर, थाना क्षेत्र महेशगंज, प्रतापगढ़।